न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2020

आर.सी.एम.एस. : 2020/00072

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
अजीत पुत्र रामपाल मेहरात जाति मेहरात निवासी चांग, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सेन्दड़ा जिला पाली (राज.) 2. पटवारी हल्का चांग तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

रेस्पोडेण्टगण की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01/02/2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार सेन्दड़ा के राजस्व प्रकरण संख्या 189/2020 सरकार बनाम अजीत में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का चांग ने अपीलाण्ट को मौजा चांग के खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.0126 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन मगरी पर मकान निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने से टी.पी. रिपोर्ट उप तहसीलदार सेन्दड़ा के समक्ष पेश की, जिस पर उप तहसीलदार सेन्दड़ा ने प्रकरण संख्या 189/2020 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर वह पेशी दिनांक 11.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। मातहत अदालत ने उसी दिवस अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए, अतिक्रमित आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना से भी दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, ज[illegible] व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एक[illegible] अवसर दिये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। जैर [illegible] पिता के स[illegible] मकान बना हुआ है, जिसे ध्वस्त कर अपीलाण्ट ने [illegible] का निर्माण किया है। अ[illegible] के पक्के निर्माण को ध्वस्त करने के संबंध में जिला कलक्टर के अधिकार में है, न की तहसीलदार के। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 12.02.

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2020 को नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 13.02.2020 को प्राप्त होते ही, अधिवक्ता से संपर्क कर न्यायालय में पेश की है, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश दिनांक 11.02.2020 को पारित हुआ तथा अपीलाण्ट ने अपील दिनांक 13.03.2020 को पेश की है। अपील अपीलाण्ट को न्याय की दृष्टि से अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का चांग ने अपीलाण्ट द्वारा मौजा चांग के खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.0126 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन मगरी पर मकान निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने से टी.पी. रिपोर्ट उप तहसीलदार सेन्दड़ा के समक्ष पेश की, जिस पर उप तहसीलदार सेन्दड़ा ने प्रकरण संख्या 189/2020 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर वह पेशी दिनांक 11.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है। अपीलाण्ट के नाम विधिनुसार नोटिस जारी किया गया तथा उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट को जैर अपील आराजी से पक्का निर्माण छोड़ कर शेष आराजी से भौतिक रूप से उसकी स्वयं की उपस्थिति में बेदखल किया गया, जो पत्रावली संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इससे यह जाहिर है कि अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण था एवं कुछ हिस्से पर उसका अतिक्रमण पक्के निर्माण के रूप में वर्तमान में भी मौजूद है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, बलहीन एवं औचित्यविहीन होने से खारिज की जाती है। उप तहसीलदार सेन्दड़ा के प्रकरण संख्या 189/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2020 को यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार सेन्दड़ा को निर्णय की प्रति साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली